<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>12.04.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने रुपये 50.47 करोड़ के बुक वैल्यू की विभिन्न संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है जिन्हें कथित तौर पर ज्योति प्रिया मल्लिक (तत्कालीन खाद्य और आपूर्ति विभाग के प्रभारी मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार), बाकीबुर रहमान (चावल और आटा मिलर), शंकर अध्या और अन्य सहित कई व्यक्तियों द्वारा पीडीएस राशन घोटाले से प्राप्त अपराध की आय (पीओसी) से अर्जित किया गया। इन संपत्तियों का बाजार मूल्य 150 करोड़ रुपये से काफी अधिक होने का अनुमान है। इन संपत्तियों में विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं की 48 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें ज्योति प्रिया मल्लिक का साल्ट लेक, बोलपुर में आवासीय घर, उनके करीबी सहयोगियों के नाम पर कई अन्य 'बेनामी संपत्तियां', कोलकाता और बेंगलुरु में बाकिबुर रहमान के दो-दो होटल और विभिन्न बैंक खातों और सावधि जमाओं (एफडी) में बैलेंस राशि शामिल हैं। यह भी पाया गया है कि ज्योति प्रिया मल्लिक ने कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों या करीबी सहयोगियों के नाम पर बिना किसी प्रतिफल के करोड़ों रुपये से अधिक की विभिन्न अचल संपत्तियां 'उपहार' के रूप में प्राप्त की हैं, जिन्हें पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।

ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की, जिसमें विभिन्न गैर-सरकारी व्यक्तियों को पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए राशन के अनधिकृत अधिकार में पाया गया और उन्हें धान की फर्जी खरीद में भी शामिल पाया गया। पीएमएलए जाँच के दौरान, पीडीएस घोटाले से संबंधित अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न करने के लिए तीन महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली का पता चला यथा-

- खुले बाजार में पीडीएस राशन की हेराफेरी,
- पीडीएस वितरण के लिए ताजे आटे में पुराना गेहूं का आटा मिलाना और
- एमएसपी पर फर्जी धान खरीद।

संदेह है कि पीडीएस घोटाले में रुपये 10,000 करोड़ से अधिक की पीओसी का उत्पादन हुआ। इस मामले में बकीबुर रहमान, ज्योति प्रिया मल्लिक, शंकर अध्या और विश्वजीत दास को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था और सभी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। जाँच के दौरान यह भी पता चला है कि शंकर अध्या, बिस्वजीत दास और अन्य के स्वामित्व/नियंत्रण वाली पूर्ण विकसित मनी चेंजर कंपनियों के माध्यम से भारतीय रुपये को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करके बड़ी मात्रा में पीओसी को दुबई और अन्य देशों में भेजा गया था।

इस संबंध में अभियोजन शिकायत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष दिनांकः 12.12.2023 को दायर की गई थी और पूरक अभियोजन शिकायत दिनांकः 05.03.2024 को दायर की गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों शिकायतों का संज्ञान लिया गया है। इसके अलावा, उक्त शिकायतों में अपराध की आय (पीओसी) से अर्जित/प्राप्त संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रार्थना की गई है, जिसमें 101 अचल संपत्तियां और कई बैंक खातों में शेष (बैलेंस) राशि शामिल हैं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।